

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राज., जयपुर
वित्त भवन" जनपथ, जयपुर

(दूरभाष नं०:-0141-2740837,, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:-एफ.4(ई) / (एल-294 / 88) / अलेसे-III / 946

दिनांक :- 14-09-21

शुद्धि पत्र

1. विभागीय पत्र क्रमांक 844 दिनांक 01.09.2021 में श्री लालचंद सोनी को लेखाकार के वेतन आहरण के सम्बन्ध में जारी पत्र में अंकित पद का नाम 'सहायक लेखाधिकारी-प्रथम' के स्थान पर 'सहायक लेखाधिकारी-द्वितीय' पढ़ा जावे।

(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)

क्रमांक:-एफ.4(ई) / (एल-294 / 88) / अलेसे-III / 946

दिनांक :- 14-09-21

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संबंधित विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष
3. संबंधित कोषाधिकारी
4. श्री लालचंद सोनी, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय कोषालय, बीकानेर।
5. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक I / कार्मिक II / कार्मिक III) कार्यालय हाजा।
6. अतिरिक्त निजी सचिव निदेशक महोदय।
7. उप निदेशक, (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु एवं पीआईएस में रिकार्ड संधारण हेतु।
8. रक्षित / निजी पत्रावली।

(लेखराम मीणा)
उप निदेशक (कार्मिक-III)